**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 534**

**दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्रधान मंत्री जन औषधि परियोजना के तहत आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता**

**534. श्री हुसैन दलवई:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने-कितने स्टोर खोलने का लक्ष्य है;

(ख) वास्तव में राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसे कितने-कितने स्टोर खोले गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को गुणवत्ता और बेची गयी दवाओं को वापस लेने के संबंध में शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) इस योजना के तहत गुणवत्ता अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदारी निकाय कौन सा है तथा जन औषधि स्टोर को प्रदान की जा रही घटिया दवाओं की आपूर्ति के कितने मामलों की जांच की गई और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या ऐसे स्टोरों में औषधि स्टॉक-आउट्स को लेकर चुनौती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय एवं रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क):** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) नोट के अनुसार, पीएमबीजेपी के तीन वर्ष की योजना को ध्यान में रखते हुए 1000 पीएमबीजेपी केंद्र प्रत्येक वर्ष अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में खोले जाएगे। वर्तमान में, पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

**(ख):** वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 (दिनांक 10.12.2018 तक) में खोले गए ऐसे पीएमबीजेपी केंद्रों का ब्यौरा **अनुलग्नक** के रूप में है।

**(ग) और (घ):** पीएमबीजेपी केंद्रों को आपूर्ति की गई दवाओं की नियमित नमूना जांच के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एक नमूने की खराबी की सूचना मिली है और 10 दवाओं को बाजार से वापस लिया गया है। इस संबंध में, खरीद से रोक लगाने के लिए भारत के औषध पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई), जो पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी है, द्वारा 10 आपूर्तिकर्त्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। दिनांक 10.12.2018 की स्थिति के अनुसार, तीन आपूर्तिकर्त्ताओं को निष्कासित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीपीपीआई द्वारा चूककर्त्ता आपूर्तिकर्त्ताओं को दवाओं की लागत की वसूली के लिए नामे-नोट जारी किए गए हैं। भारत के औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो पीएमबीजेपी के अंतर्गत दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है।

(ङ): जी, हां। देश में कार्यरत पीएमबीजेपी केंद्रों पर दवाओं की अनुपलब्धता की कुछ शिकायतें हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

(i) बिलासपुर, गुरूग्राम, हरियाणा में 1 केंद्रीय गोदाम, (सीडब्ल्यूएच) के अलावा, बीपीपीआई ने हाल ही में, पीएमबीजेपी केंद्रों के लिए दवाओं की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी और बैंगलुरू में दो क्षेत्रीय गोदाम (आरडब्ल्यूएच) खोले गए हैं।

(ii) देश भर में पीएमबीजेपी केंद्रों के लिए दवाओं, शल्य और उपभोज्यों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 52 वितरकों की भी नियुक्ति की गई है।

(iii) देश भर में काम कर रहे सभी पीएमबीजेपी केंद्रों के लिए बीपीपीआई के केंद्रीय गोदाम (सीडब्ल्यूएच) पर दवाओं की उपलब्धता की पूरी श्रृंखला बनाने के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को सक्षम किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, बीपीपीआई द्वारा एक व्यावसायिक एजेंसी नामतः मैसर्स एथिक्स इनफिनिटि प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित किया गया है ताकि स्कीम के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का समाधान किया जा सके, जिसमें समय और लागत बचाने के लिए सीधे दवाइयों और अन्य उत्पादों को सीडब्ल्यूएच से पीएमबीजेपी केंद्रों तक सीधे आपूर्ति की जाएगी।

(IV) बीपीपीआई सभी पीएमबीजेपी केंद्रों पर “प्वाइंट ऑफ सेल” साफ्टवेयर अनुप्रयोग को भी कार्यान्वित कर रही है ताकि पीएमबीजेपी केंद्रों को सही समय पर दवाओं की मांग की जा सके और दवाएं केंद्रीय गोदाम/क्षेत्रीय गोदाम से सीधे प्राप्त की जा सके।

\*\*\*\*\*\*\* **अनुलग्नक**

**प्रधान मंत्री जन औषधि परियोजना के तहत आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में श्री हुसैन दलवई द्वारा पूछे गए दिनांक 14.12.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 534 के भाग (ख) में संदर्भित विवरण**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/राज्य संघ क्षेत्र के नाम नाम** | **2017-2018** | **2018-2019 (** **10.12.2018** **तक** **)** |
|  |  | **खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों के नाम** | **खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों के नाम** |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0 | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 81 | 34 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 10 | 0 |
| 4 | असम | 36 | 17 |
| 5 | बिहार | 99 | 33 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 51 | 1 1 |
| 8 | दादर और नागर हवेली | 7 | 5 |
| 9 | दमन और दीव | 3 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 29 | 21 |
| 1 1 | गोवा | 0 | 3 |
| 12 | गुजरात | 175 | 148 |
| 13 | हरियाणा | 58 | 42 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 14 | 17 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 17 | 12 |
| 16 | झारखंड | 28 | 7 |
| 17 | कर्नाटक | 256 | 129 |
| 18 | केरल | 165 | 76 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 45 | 59 |
| 20 | महाराष्ट्र | 146 | 76 |
| 21 | मणिपुर | 35 | 0 |
| 22 | मेघालय | 1 | 0 |
| 23 | मिजोरम | 5 | 1 |
| 24 | नागालैंड | 0 | 3 |
| 25 | ओडिशा | 47 | 39 |
| 26 | पुडुचेरी | 1 1 | 2 |
| 27 | पंजाब | 58 | 35 |
| 28 | राजस्थान | 68 | 25 |
| 29 | सिक्किम | 2 | 0 |
| 30 | तमिलनाडु | 253 | 134 |
| 31 | तेलंगाना | 61 | 21 |
| 32 | त्रिपुरा | 14 | 1 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 381 | 242 |
| 34 | उत्तराखंड | 79 | 46 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 52 | 30 |
|  | **कुल** | **2288** | **1270** |

\*\*\*\*\*